झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची।

प्रवेशिकोत्तर पाठयकमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृति योजना वर्ष 2018–19 हेतु आवेदन से सम्बन्धित आवश्यक सूचना

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर निर्धारित मापदंड के अनुसार वितीय वर्ष–2018–19 में प्रवेशिकोत्तर पाठयकमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

1. छात्रवृति के लिए आय की अधिसीमा :–

अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र/छात्राएँ जिनके माता–पिता/अभिभावक की सभी श्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं हो, तथा पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राएँ जिनके माता–पिता/अभिभावक की सभी श्रोतों से वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये से अधिक नहीं हो, इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

2. आवेदन करने की प्रक्रिया :–

अहर्त्ता प्राप्त छात्रों को वेबसाइट https://ekalyan.cgg.gov.in में दिये गये सभी दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियाओं को पालन करते हुए ऑनलाईन आवेदन करना है। ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् उसकी हार्डकॉपी (Printout) में विधिवत हस्ताक्षर कर एवं सभी निम्नांकित वांछित प्रमाण–पत्रों की Scanned Copy (jpeg/jpg में 150kb तक) वेबसाईट पर अपलोड करेगें :–

(i) ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् प्रिन्ट आउट पर छात्र एवं अभिभावक के हस्ताक्षर सहित

(ii) ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण–पत्र (Income Certificate) (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति। (दिनांक–1.04.2018 से निर्गत आय प्रमाण–पत्र मान्य होगा)

(iii) ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र (Caste Certificate) (अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति।

(iv) ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र (Residential Certificate) (अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति।

(v) संस्थान के लेटर हेड में संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत Bonafide Certificate (with Fee Structure निर्गत संख्या एवं दिनांक के साथ) की मूल प्रति। (एक पृष्ठ में)

(vi) पूर्व की परीक्षा के अंकपत्र (Mark Sheet of previous exam) की अभिप्रमाणित प्रति।

(vii) छात्र के नाम पर बैंक खाता पासबुक की पृष्ठ, जिसमें Account No. एवं IFSC code उल्लेखित हो, की छायाप्रति (बैंक खाता को आधार संख्या से सीडिंग होना अनिवार्य है।)। छात्रवृति की धनराशि DBT के माध्यम से सुयोग्य छात्रों के खाते में अन्तरित की जाएगी।

3. ऑनलाईन आवेदन की समय सीमाः–

क0	प्रकियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि	कार्यवाही के लिए निर्धारित अंतिम तिथि
1	मास्टर डाटा बेस में संस्थाओं एवं पाठ्यकमों का पंजीकरण	26-07-2018	16-08-2018
2	राज्य / जिला स्तर पर संस्थानों का अनुमोदन	-	27-08-2018
3	संबंधित छात्र–छात्रा द्वारा छात्रवृति हेतु आवेदन करने की प्रकिया	30-08-2018	15-09-2018
4	जिला स्तर पर छात्रवृति स्वीकृति समिति की बैठक	-	30-09-2018
5	छात्रवृति के भुगतान की प्रकिया	-	15-10-2018

4. कॉलेज / संस्थान का निबंधन

ऐसे कॉलेज / संस्थान जिनके द्वारा affiliation एवं registration का अदयतन कागजात वेबसाईट पर upload नहीं किया गया है से पुनः अदयतन कागजातों के साथ वेबसाईट पर registration करने का अनुरोध किया गया है। कॉलेज / संस्थान के द्वारा registration करने की अंतिम तिथि 16.08.2018 निर्धारित की गई है।

5. कॉलेज / संस्थान का दायित्वः–

(I) संस्थान अपना पूर्ण विवरण सहित मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे।

नोटः– राज्य के अन्दर स्थित संस्थानों को संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा User Id एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा तथा राज्य के बाहर के संस्थानों को उनके ई–मेल आई0डी0 पर User Id एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य के अन्दर स्थित महाविद्यालय / संस्थान Course Mapping करेंगे जो Post Matric (Within State) में Student application form में Course दिखलाई देगा, तभी Student Online आवेदन कर सकते हैं। राज्य के बाहर स्थित महाविद्यालय / संस्थान को Course Mapping करने की आवश्यकता नहीं है।

(II) छात्र / छात्रा की छात्रवृति हेतु संस्थान के लेटर हेड में वर्ष–2018–19 में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं का Bonafide Certificate निर्गत संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत करेंगे।

(III) संस्थान प्रधान अपने महाविद्यालय / संस्थान में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं के द्वारा भरे गए Online आवेदन को https://ekalyan.cgg.gov.in के वेबसाइट पर अपने User Id एवं Password के माध्यम से login कर Online सत्यापित करेंगे। राज्य के अन्दर स्थित महाविद्यालय / संस्थान सत्यापन से पूर्व Fee Detail भी Update करेंगे ।

(IV) पूर्व से छात्रवृति पोर्टल पर निबंधित संस्थान यदि अपने User Id एवं Password भूल गए हों तो पोर्टल पर दिए गए लिंक से पुनः User Id एवं Password Recover कर सकते हैं।

6. हेल्प लाईनः–

सिर्फ आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यदि कोई कठिनाई हो तो ई–कल्याण के सम्पर्क संख्या – 040-23120591 / 23120592 / 23120593 पर सम्पर्क कर सकते हैं, एवं e-mail id - helpdeskekalyan@gmail.com पर e-mail कर सकते हैं अथवा https://ekalyan.cgg.gov.in वेबसाइट के Complaint link पर ऑनलाईन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

7. नोट :–

- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना से संबंधित कल्याण विभाग से निर्गत दिशा–निर्देश एवं अन्य अनुवर्ती सूचना वेबसाइट https://ekalyan.cgg.gov.in पर देखा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व कृपया उक्त वेबसाइट दिए गए निर्देश को अवश्य देख लिया जाये।
- उपबन्धित बजट राशि की सीमा के अन्तर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति स्वीकृति हो सकेगी।
- निश्चित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात किसी प्रकार का आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- छात्र / छात्रा को अपना बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या देना अनिवार्य होगा।
- एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर छात्र / छात्रा का आवेदन पत्र रदद् कर दिया जायेगा।
- ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि / अशुद्धि / गलत अथवा भ्रामक सूचना देने पर आवेदन रदद् कर दिया जायेगा।

24.7.18

आदिवासी कल्याण आयुक्त।